

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०), नैनीताल

आदेश सं०/ 245 / प्रा०शि०/अनि०स्था०/2015-16 दिनांक 21/07/2015

## विज्ञप्ति/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पद स्थापन नियमावली 2013 (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम संशोधन सहित) में निहित प्राविधानों के अनुसार (नियम 10(2) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण क से झ तक) के निम्नांकित स०अ० रा०प्रा०वि० अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरित स०अ० रा०प्रा०वि० को आदेशित किया जाता है कि वे स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अंतर्गत स्थानान्तरित विद्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उचित माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित अध्यापकों को आदेश निर्गत होने की तिथि के सात दिन के अन्दर कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उन्हें एक तरफा कार्यभार मुक्त कर दिया जायेगा तथा पूर्व तैनाती स्थल से वेतन कदापि आहरित नहीं किया जायेगा। एकल अध्यापकीय विद्यालय होने की स्थिति में प्रतिस्थानी की व्यवस्था होने के उपरान्त ही कार्यभार मुक्त होना सुनिश्चित करें। किसी भी दशा में विद्यालय बन्द न होने पाये।

### (X से Y)

क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड
1	2	3	4	5	6
1	सौरभ कुमार, स०अ०	रा०प्रा०वि०क्यारी	रामनगर	रा०प्रा०वि०बेलघट्टी	रामनगर
2	निर्मल कुमार तिवारी स०अ०	रा०प्रा०वि०बसई	रामनगर	रा०प्रा०वि०बेलघट्टी	रामनगर

ह०/-

मुख्य शिक्षा अधिकारी  
नैनीताल

पृ०सं०/ 2441-45 / प्रा०शि०/अनि०स्था०/2015-16 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर शिक्षा निदेशक (प्रा०शि०), कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)/सम्बन्धित प्र०अ०, नैनीताल को इस आशय के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अध्यापक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार मुक्त/ ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
5. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका के अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।
6. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

21-7-15  
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)  
नैनीताल

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०), नैनीताल

आदेश सं०/ 246 / प्रा०शि०/अनि०स्था०/2015-16 दिनांक 21 / 07 / 2015  
विज्ञप्ति/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति/पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पद स्थापन नियमावली 2013 (प्रथम,द्वितीय,तृतीय,चतुर्थ एवं पंचम संशोधन सहित) में निहित प्राविधानों के अनुसार (नियम 10(2)अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण क से झ तक) के निम्नांकित प्र०अ० रा०प्रा०वि० अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरित प्र०अ० रा०प्रा०वि० को आदेशित किया जाता है कि वे स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अंतर्गत स्थानान्तरित विद्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उचित माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित अध्यापकों को आदेश निर्गत होने की तिथि के सात दिन के अन्दर कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उन्हें एक तरफा कार्यभार मुक्त कर दिया जायेगा तथा पूर्व तैनाती स्थल से वेतन कदापि आहरित नहीं किया जायेगा। एकल अध्यापकीय विद्यालय होने की स्थिति में प्रतिस्थानी की व्यवस्था होने के उपरान्त ही कार्यभार मुक्त होना सुनिश्चित करें। किसी भी दशा में विद्यालय बन्द न होने पाये।

(उत्तराखण्ड के विद्यालयी शिक्षा विभाग के राजकीय शिक्षक/शिक्षणोत्तर कार्मिक की सेवा में कार्यरत शिक्षक पति अथवा पत्नी)


क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड
1	2	3	4	5	6
1	राजेन्द्र कुमार, प्र०अ०	रा०प्रा०वि०खैरनी	बेतालघाट	रा०प्रा०वि०स्यूड़ा	भीमताल

ह०/-  
मुख्य शिक्षा अधिकारी  
नैनीताल

पृ०सं०/ 2446-50 / प्रा०शि०/अनि०स्था०/2015-16 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर शिक्षा निदेशक (प्रा०शि०), कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)/सम्बन्धित प्र०अ०, नैनीताल को इस आशय के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अध्यापक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार मुक्त/ ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
5. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका के अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।
6. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)  
नैनीताल

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०), नैनीताल

आदेश सं०/ 247 /प्रा०शि०/अनि०स्था०/2015-16 दिनांक 21/07/2015  
विज्ञप्ति/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति,पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पद स्थापन नियमावली 2013 (प्रथम,द्वितीय,तृतीय,चतुर्थ एवं पंचम संशोधन सहित) में निहित प्राविधानों के अनुसार (नियम 10(2)अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण क से झ तक) के निम्नांकित स०अ० रा०प्रा०वि० अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरित स०अ० रा०प्रा०वि० को आदेशित किया जाता है कि वे स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अंतर्गत स्थानान्तरित विद्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उचित माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित अध्यापकों को आदेश निर्गत होने की तिथि के सात दिन के अन्दर कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उन्हें एक तरफा कार्यभार मुक्त कर दिया जायेगा तथा पूर्व तैनाती स्थल से वेतन कदापि आहरित नहीं किया जायेगा। एकल अध्यापकीय विद्यालय होने की स्थिति में प्रतिस्थानी की व्यवस्था होने के उपरान्त ही कार्यभार मुक्त होना सुनिश्चित करें। किसी भी दशा में विद्यालय बन्द न होने पाये।

(उत्तराखण्ड के विद्यालयी शिक्षा विभाग के राजकीय शिक्षक/शिक्षणोत्तर कार्मिक की सेवा में कार्यरत शिक्षक पति अथवा पत्नी)

क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड
1	2	3	4	5	6
1	पार्वती जोशी	रा०प्रा०वि०धानाचूली	धारी	रा०प्रा०वि०ओखलदूंगा	भीमताल

ह०/-  
मुख्य शिक्षा अधिकारी  
नैनीताल

पृ०सं०/ 2451-55 /प्रा०शि०/अनि०स्था०/2015-16 दिनांक उक्तवत्।  
प्रतिलिपि :- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर शिक्षा निदेशक (प्रा०शि०), कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)/सम्बन्धित प्र०अ०, नैनीताल को इस आशय के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अध्यापक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार मुक्त/ ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
5. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका के अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।
6. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)  
नैनीताल

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०), नैनीताल

आदेश सं०/ 248 / प्रा०शि०/अनि०स्था०/2015-16 दिनांक 21/07/2015

## विज्ञप्ति/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पद स्थापन नियमावली 2013 (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम संशोधन सहित) में निहित प्राविधानों के अनुसार (नियम 10(2) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण क से झ तक) के निम्नांकित स०अ० रा०प्रा०वि० अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरित स०अ० रा०प्रा०वि० को आदेशित किया जाता है कि वे स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अंतर्गत स्थानान्तरित विद्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उचित माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित अध्यापकों को आदेश निर्गत होने की तिथि के सात दिन के अन्दर कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उन्हें एक तरफा कार्यभार मुक्त कर दिया जायेगा तथा पूर्व तैनाती स्थल से वेतन कदापि आहरित नहीं किया जायेगा। एकल अध्यापकीय विद्यालय होने की स्थिति में प्रतिस्थानी की व्यवस्था होने के उपरान्त ही कार्यभार मुक्त होना सुनिश्चित करें। किसी भी दशा में विद्यालय बन्द न होने पाये।

(शिक्षक की स्वयं अपनी गम्भीर बीमारी/पति/पत्नी/अविवाहित बच्चे की बीमारी/विकलांगता)

क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड
1	2	3	4	5	6
1	विद्यावती, स०अ०	रा०प्रा०वि०तल्ला मौना	रामगढ़	रा०प्रा०वि०रामपुर रोड	नगर हल्द्वानी
2	लता, जोशी, स०अ०	रा०प्रा०वि०सरना	रामगढ़	रा०प्रा०वि०इन्द्रा भवाली	नगर भवाली
3	उमा जोशी, स०अ०	रा०प्रा०वि०मोती नगर	हल्द्वानी	रा०प्रा०वि०हरिपुर गांगू	हल्द्वानी
4	मंजू लोहनी, स०अ०	रा०प्रा०वि०कनकपुर	रामनगर	रा०प्रा०वि०फूलचौड़	हल्द्वानी


ह०/-

मुख्य शिक्षा अधिकारी  
नैनीताल

पृ०सं०/ 2456-60 / प्रा०शि०/अनि०स्था०/2015-16 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर शिक्षा निदेशक (प्रा०शि०), कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)/सम्बन्धित प्र०अ०, नैनीताल को इस आशय के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अध्यापक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार मुक्त/ ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
5. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका के अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।
6. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)  
नैनीताल

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०), नैनीताल

आदेश सं०/ 249 / प्रा०शि०/अनि०स्था०/2015-16 दिनांक 21 / 07 / 2015

## विज्ञप्ति/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पद स्थापन नियमावली 2013 (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम संशोधन सहित) में निहित प्राविधानों के अनुसार (नियम 10(2) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण क से झ तक) के निम्नांकित प्र०अ० रा०प्रा०वि० अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरित प्र०अ० रा०प्रा०वि० को आदेशित किया जाता है कि वे स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अंतर्गत स्थानान्तरित विद्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उचित माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित अध्यापकों को आदेश निर्गत होने की तिथि के सात दिन के अन्दर कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उन्हें एक तरफा कार्यभार मुक्त कर दिया जायेगा तथा पूर्व तैनाती स्थल से वेतन कदापि आहरित नहीं किया जायेगा। एकल अध्यापकीय विद्यालय होने की स्थिति में प्रतिस्थानी की व्यवस्था होने के उपरान्त ही कार्यभार मुक्त होना सुनिश्चित करें। किसी भी दशा में विद्यालय बन्द न होने पाये।

(शिक्षक की स्वयं अपनी गम्भीर बीमारी/पति/पत्नी/अविवाहित बच्चे की बीमारी/विकलांगता)

क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड
1	2	3	4	5	6
1	पुष्पा कठायत, प्र०अ०	रा०प्रा०वि० जलना नीलपहाड़ी	धारी	रा०प्रा०वि० पाण्डेगांव	भीमताल


ह०/-

मुख्य शिक्षा अधिकारी  
नैनीताल

पृ०सं०/ 2461-65 / प्रा०शि०/अनि०स्था०/2015-16 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर शिक्षा निदेशक (प्रा०शि०), कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)/सम्बन्धित प्र०अ०, नैनीताल को इस आशय के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अध्यापक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार मुक्त/ ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका के अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।
- कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)  
नैनीताल

